6.2.18 प्रार्थी के वकील उपस्थित। अधोहस्ताक्षरी के नोटिस तामील क्यों नहीं किया गया। न्याय हित में एक अवसर दिया जाता। वास्ते तामील तारीख 26.4.18 को पेश करें।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

8.4.19 यह प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर से प्राप्त हुआ। अपील न्यायालय में प्रस्तुत अपील अवधि बाजी ला अवधि पैरवी में खारिज हो चुकी है। यह मामला पुनरावलोकन में लाने के विचाराधीन रही है चूंकि इस आवेदन से संबंधित मूल राजस्व वाद सं. 34/17 दिनांक 9.4.18 को खारिज से चुका है ऐसी स्थिति में धारा 32 RTA के तहत प्रस्तुत प्रकरण को विचाराधीन रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से खारिज किया जाता है पक्षकारों रजू-फैसला होकर दायिक अभिलेख करें।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर